न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट चौमूँ, जिला जयपुर

मु.न. 32/2014

उनवान

माफी मंदिर श्री सीताराम जी वाके परकोटा ग्राम चौमूं तहसील चौमूं जिला जयपुर जरिये नैक्स्ट फ्रैण्ड श्री प्रमेन्द्र कुमार स्वामी पुत्र श्री रामावतार स्वामी निवासी राधाकान्त जी का मंदिर, नया बाजार चौमूं तहसील चौमूं जिला जयपुर।

—वादीगण

बनाम

1. मालीराम पुत्र रूडमल
2. अवधबिहारी पुत्र रूडमल
3. चन्द्रप्रकाश पुत्र रूडमल
4. माधोलाल पुत्र रूडमल

जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम चौमूं, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

—प्रतिवादीगण

वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांकः— 28.11.2019

पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थीगण ने अपने वाद में निवेदन किया है कि वादी एक शाश्वत नाबालिग है। चूँकि वादी एक शाश्वत नाबालिग है, इसलिए उक्त वाद पत्र वादी की ओर से उसके नैक्स्ट फ्रैण्ड श्री प्रमेन्द्र कुमार स्वामी पुत्र श्री रामावतार स्वामी के द्वारा हस्ताक्षरित किया जाकर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

वादी की कब्जे काश्त खातेदार की भूमि वाके ग्राम चौमूं तहसील चौमूं जिला जयपुर में खाता संख्या नया 560 पुराना 507 में स्थित भूमि खसरा नम्बर 1940 रकबा 1.08 है0, खसरा नम्बर 1941 रकबा 1.07 है0, खसरा नम्बर 1945 रकबा 1.01 है0, खसरा नम्बर 1946 रकबा 0.01 है0, खसरा 1947 रकबा 0.82 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 1948 रकबा 0.11 हैक्टेयर कुल किता 6 रकबा 4.10 है0 स्थित है। वादी मंदिर की उक्त खातेदारी की भूमि राजस्व रिकार्ड में वादी मंदिर के नाम से दर्ज इन्द्राज है। वादी मंदिर की उक्त आराजी भूमि से वादी मंदिर की सेवा पूजा सुश्रुसा की जाती है एवं वादी मंदिर की उक्त भूमि से प्रतिवादीगण का उथवा अन्य किसी व्यक्ति का अथवा संस्थान का कोई सम्बन्ध अथवा सरोकार नही है।

प्रतिवादीगण वादी मंदिर के पुजारी हैं एवं उनका भू—माफिया लोगों से सम्पर्क हैं एवं उनसे अच्छी जान—पहचान है। इसी कारण आये दिन दीगर भू—माफिया लोगों से आपसी मिलीभगत कर वादी मंदिर की सम्पति पर जोर जबरदस्ती सम्पति को अनुचित रूप से अडपने का प्रयास करते रहते है। प्रतिवादीगण की नजर भी वादी मंदिर की भूमि पर खराब हो गई है एवं प्रतिवादीगण वादी मंदिर की भूमि को अपने भू—माफिया एवं असामाजिक किस्म के लोगों के माध्यम से हडपने के प्रयास में लगे रहते है। जिसका कि प्रतिवादीगण को कोई वैधानिक हक अधिकार हासिल नही है। इसलिए वादी अधिकारी है कि वह प्रतिवादीगण को माननीय न्यायालय के माध्यम से जरिये स्थाई निषेधाज्ञा प्रतिबंधित करवा देवे कि प्रतिवादीगण वादी मंदिर की भूमि वर्णित मद संख्या 2 वाद पत्र पर किसी भी प्रकार का कोई कब्जा ना तो स्वयं करें और ना ही अपने किसी एजेन्ट, सर्वेन्ट अथवा अन्य के माध्यम से करवावें।

वादी मंदिर की उक्त कब्जे काश्त खातेदारी की भूमि पर वादी मंदिर का ही कब्जा काश्त है एवं वादी मंदिर की उक्त भूमि से होने वाली उपज से ही वादी मंदिर की सेवा सुश्रुसा एवं सार सम्भाल होती है। चूँकि वादी मंदिर एक शाश्वत नाबालिग है, इसलिए वादी मंदिर ने अपनी कब्जे काश्त खातेदारी की भूमि को बांटे

Scanned by CamScanner

पर काश्त के लिए दे रखा है जिसकी आय से ही वादी मंदिर की सेवा पूजा सुश्रुसा होती है। परन्तु प्रतिवादीगण ने वादी मंदिर की उक्त भूमि पर काश्त नही होने दे रहे हैं एवं वादी मंदिर की उक्त भूमि पर कॉलोनी बसाने की तैयारिया भू–माफिया लोगों से मिलीभगत एवं आपसी सॉठ–गॉठ से कर ली है एवं प्रतिवादीगण ने अपने भू–माफिया लोगों से मिलकर उक्त भूमि को समतल कर उसमें सड़क का निर्माण भी करवा लिया है एवं कॉलोनी बसाकर दीगर लोगों को पट्टा आवंटित करने पर आमादा हो रहे हैं जिसका कि प्रतिवादीगण को कोई हक अधिकार हासिल नहीं है। इसलिए वादी मंदिर अधिकारी है कि वह प्रतिवादीगण को मा0न्या0 के माध्यम से जरिये स्थाई निषेधाज्ञा प्रतिबंधित करवा देवे कि प्रतिवादीगण वादी मंदिर की कब्जे काश्त खातेदारी की भूमि वर्णित मद संख्या 2 वाद पत्र पर कॉलोनी बसाकर उसमें छोटे–छोटे प्लाट काटकर दीगर लोगों को ना तो कोई भूखण्ड आवंटित करें और ना ही वादी मंदिर के शान्तिपूर्वक कब्जे उपयोग उपभोग में किसी भी प्रकार की कोई बाधा ना तो स्वयं उत्पन्न करें और ना ही अपने किसी एजेन्ट, सर्वेन्ट अथवा अन्य के माध्यम से उत्पन्न करवावें।

प्रतिवादीगण का वादी मंदिर की भूमि से किसी भी प्रकार का कोई सम्बन्ध अथवा सरोकार नहीं है। प्रतिवादीगण वादी मंदिर की भूमि पर जोर जबरदस्ती भू–माफिया एवं अपने असामाजिक किस्म के लोगों की ताकत के बल पर वादी मंदिर की भूमि पर कब्जा कर उस पर कॉलोनी बसाकर दीगर लोगो की छोटे छोटे भूखण्ड आवंटित कर अनुचित रूप से लाभ कमाना चाह रहे है एवं इस हेतु द्रुत गति से प्रयासरत हैं। इसी क्रम में प्रतिवादीगण अपने असामाजिक किस्म के लोगों के साथ एक राय होकर वादी मंदिर की भूमि पर दिनांक 15.01.2014 को आये एवं वादी मंदिर की सम्पति अपने इंजिनियरों एवं कारीगरों से भूमि की नाप जोख करने लगे। वादी मंदिर के नैक्सट फ्रैण्ड एवं अन्य लोगों के द्वारा प्रतिवादीगण एवं उन असामाजिक किस्म के लोगों से पूछने पर उनके द्वारा वादी मंदिर के नैक्सट फ्रैण्ड को यह बताया गया कि वे इस भूमि पर कॉलोनी बसाने के लिए नापजोख कर रहे है। वादी मंदिर के नैक्सट फ्रैण्ड एवं अन्य लोगों द्वारा प्रतिवादीगण एवं उनके साथ आये असामाजिक किस्म के लोगो का प्रतिरोध करने पर प्रतिवादीगण एवं उनके आमादा फिसाद हो गये एवं वादी मंदिर के नैक्सट फ्रैण्ड को एवं अन्य लोगों को ऐलानिया धमकी दी कि वे वादी मंदिर की भूमि पर कब्जा करके उसमें कॉलोनी बसाकर दीगर लोगों को भूखण्ड आवंटित करके ही रहेंगें, कोई भी उनका कुछ भी नही बिगाड़ सकेगा। प्रतिवादीगण द्वारा दी गई उक्त ऐलानिया धमकी के कारण ही वादी मंदिर को अपनी सम्पति की सुरक्षा हेतु यह वाद पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष दायर करना लाजमी आया।

उक्त वाद हेतु कॉज ऑफ एक्शन दिनांक 15.01.2014 को प्रतिवादीगण द्वारा अपने असामाजिक किस्म के लोगो की अपसी सॉठ–गाठॅ एवं मिलीभगत से वादी मंदिर की भूमि वर्णित मद संख्या 2 वाद पत्र पर जोर जबरदस्ती अपने असामाजिक किस्म के लोगो के माध्यम से ताकत के बल पर कब्जा करके उस पर कॉलोनी बसाकर दीगर लोगों को छोटे–छोटे भूखण्ड आवंटित करने की ऐलानिया धमकी दिये जाने से एवं वादी मंदिर को उसकी सम्पति के शान्तिपूर्वक कब्जे उपयोग उपभोग में अवरोध उत्पन्न करने से उत्पनन होकर लगातार जारी है।

वाद वादी मंदिर बहक वादी मंदिर खिलाफ प्रतिवादीगण सालिम डिक्रि फरमाया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा प्रतिबंधित किया जावे कि प्रतिवादीगण वादी मंदिर की कजे काश्त खातेदारी की भूमि वाके ग्राम चौमूं तहसील चौमूं जिला जयपुर वर्णित मद संख्या 2 वाद पत्र के वादी मंदिर के कब्जे काश्त एवं शान्तिपूर्ण उपयोग उपभोग में किसी भी प्रकार की कोई मजाहमत ना तो स्वयं पैदा करे और ना ही अपने किसी एजेन्ट, सर्वेन्ट अथवा अन्य के माध्यम से करवावें और ना ही वादी मंदिर की भूमि पर अपने असामाजिक किस्म के लोगों की मदद से

Scanned by CamScanner

कॉलोनी बसाकर दीगर लोगों को छोटे–छोटे भूखण्ड ना तो स्वयं आवंटित करें और ना ही अपने किसी एजेन्ट सर्वेन्ट अथवा अन्य के माध्यम से आवंटित करवावें।

वादीगण के वाद पत्र पेश करने पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई तथा प्रतिवादीगण की तलबी की गई। पत्रावली व दस्तावेजात का अवलोकलन किया गया। नकल जमाबन्दी के अनुसार वादीगण विवादित भूमि का खातेदार काश्तकार है। नियमानुसार प्रत्येक खातेदार काश्तकार अपनी खातेदारी भूमि के उपयोग उपभेग के संबंध में किसी अन्य व्यक्ति को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का अधिकार प्राप्त है। लिहाजा वादी का वाद आंशिक स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादी का वाद स्थाई निषेधाज्ञा का आंशिक स्वीकार किया जाकर डिकी किया जाकर तहसीलदार चौमूं को निर्देशित किया जाता है कि विवादित भूमि खाता संख्या नया 560 पुराना 507 में स्थित भूमि खसरा नम्बर 1940 रकबा 1.08 है0, खसरा नम्बर 1941 रकबा 1.07 है0, खसरा नम्बर 1945 रकबा 1.01 है0, खसरा नम्बर 1946 रकबा 0.01 है0, खसरा 1947 रकबा 0.82 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 1948 रकबा 0.11 हैक्टेयर कुल किता 6 रकबा 4.10 है0 ग्राम चौमूं तहसील चौमूं का प्रार्थी के आवेदन पर सीमाज्ञान करवाकर सीमाज्ञान के चिन्हों का प्रतिवादीगण अतिक्रमण नही करें। तथा साथ ही प्रतिवादीगण को इस बाबत सक्त पाबन्ध किया जावें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 29.11.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हिम्मत सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
चौमूं (जयपुर)

Scanned by CamScanner

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट चौमूं, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी– हिम्मत सिंह

मु.न. 122/2011

उनवान

माफी मंदिर श्री सीताराम जी वाके परकोटा ग्राम चौमूं तहसील चौमूं जिला जयपुर जरिये नैक्स्ट फ्रैण्ड श्री प्रमेन्द्र कुमार स्वामी पुत्र श्री रामावतार स्वामी निवासी राधाकान्त जी का मंदिर, नया बाजार चौमूं तहसील चौमूं जिला जयपुर।

---वादीगण

बनाम

5. मालीराम पुत्र रूडमल
6. अवधबिहारी पुत्र रूडमल
7. चन्द्रप्रकाश पुत्र रूडमल
8. माधोलाल पुत्र रूडमल

जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम चौमूं, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

---प्रतिवादीगण

वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू वादी मिनजामिन मुददई रूबरू हिम्मत सिंह आरएएस मिनजामिन मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद स्थाई निषेधाज्ञा का आंशिक स्वीकार किया जाकर डिकी किया जाकर तहसीलदार चौमूं को निर्देशित किया जाता है कि विवादित भूमि खाता संख्या नया 560 पुराना 507 में स्थित भूमि खसरा नम्बर 1940 रकबा 1.08 है0, खसरा नम्बर 1941 रकबा 1.07 है0, खसरा नम्बर 1945 रकबा 1.01 है0, खसरा नम्बर 1946 रकबा 0.01 है0, खसरा 1947 रकबा 0.82 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 1948 रकबा 0.11 हैक्टेयर कुल किता 6 रकबा 4.10 है0 ग्राम चौमूं तहसील चौमूं का प्रार्थी के आवेदन पर सीमाज्ञान करवाकर सीमाज्ञान के चिन्हों का प्रतिवादीगण अतिक्रमण नही करें। तथा साथ ही प्रतिवादीगण को इस बाबत सक्त पाबन्ध किया जावें।

मोहर

(हिम्मत सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
चौमूं (जयपुर)

मुदई	रूपये	पैसे	मुदाईला	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2		स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा	1		स्टाम्प वकालत नामा	2	
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					

Scanned by CamScanner

मीजान	3		मीजान	2	

नोटः– इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2020.02.29 14:54:38 IST
Reason: SelfAttested
Location: